

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति याद संख्या :- 298 / 2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

मेरी कुजूर.....आवेदक / विक्रेता

अंजेला कुजूर वगैरह.....क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

30.12.2023

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

आदेश

आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती मेरी कुजूर पिता/पति वरनावस कुजूर ग्राम-कपरिया, पो0-गुटजोरा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:-

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)
खूँटी	83	3	1503	0.45

आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती मेरी कुजूर पिता/पति वरनावस कुजूर ग्राम-कपरिया, पो0-गुटजोरा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेतागण 1. श्री/श्रीमती अंजेला कुजूर वो 2. श्री/श्रीमती अनिता कुजूर वो 3. श्री/श्रीमती अनिश कुजूर वो 4. श्री/श्रीमती अमन कुजूर सभी के पिता/पति वरनावस कुजूर सभी का ग्राम-कपरिया, पो0-गुटजोरा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।

आवेदक/आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद 0505386278 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 954 दिनांक 14.12.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका की खरीदगी भूमि है। आवेदक पंजी II रैयत स्वयं है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 6 के पृष्ठ सं० 108 पर जमाबंदी दर्ज है। आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक

ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण करने हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 213 दिनांक 14.12.2023 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHSTH/2019/05899 दिनांक 16.11.2019 व JHCST/2022/325897 दिनांक 12.10.2022 व JHCST/2021/200460 दिनांक 04.10.2021 व JHCST/2023/374965 दिनांक 24.11.2023 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHRC/2019/860893 दिनांक 08.11.2019 व JHRC/2022/365546 दिनांक 11.09.2023 व JHRC/2021/313359 दिनांक 23.09.2021 व JHRC/2023/401282 दिनांक 24.11.2023 एवं सभी का आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 954 दिनांक 14.12.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती मेरी कुजूर पिता/पति बरनावस कुजूर ग्राम-कपरिया, पो०-गुटजोरा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेतागण 1. श्री/श्रीमती अंजेली कुजूर व 2. श्री/श्रीमती अनिता कुजूर व 3. श्री/श्रीमती अनिश कुजूर व 4. श्री/श्रीमती अमन कुजूर सभी के पिता/पति बरनावस कुजूर सभी का ग्राम-कपरिया, पो०-गुटजोरा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम खूँटी के खाता सं० 3 खेसरा संख्या 1503 रकबा 0.45 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।